

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों का निर्माण।

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों का निर्माण।			
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।			
	ग) परियोजना की लागत।	₹ 43.18 लाख			
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	वन भूमि के अतिरिक्त अन्य विकल्प न होने के कारण एवं जनता को त्वरित न्याय की सुविधा हेतु।			
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)	लागू नहीं है।			
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	निर्माण कार्य से स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा मिलेगी।			
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	राज्य वन भूमि हे.	वन पंचायत भूमि हैं.	आरक्षित वन भूमि हे.	कुल भूमि में
		0.000	0.000	0.980 हे.	0.980 हे.
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	कोई नहीं है।			
	क) परिवारों की संख्या	कोई नहीं है।			
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं है।			
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।			

4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं है।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	सभी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक 14.12.2021
स्थान रात 5.00

सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अल्मोड़ा
रानीखेत

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)